संख्या 3559/8–3–07–97–38(विविध)/07

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष विकास क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष/नियन्त्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 04 जनवरी, 2008

विषय : भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1614/8–3–97–38 (विविध)/97, दिनांक 01.05.1997 का सन्दर्भ ग्रहण करने क कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरों के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार नगरों में पुराने निर्मित क्षेत्र में 100 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर आवासीय भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते प्रस्तावित निर्माण हेतु महायोजना व भवन निर्माण एवं विकास, उपविधि आदि के अनुसार सेट बैक, छोड़े गए हों एवं निर्माण 03 मंजिल से अधिक न हो। इसी प्रकार नगर के नये एवं विकासशील क्षेत्र में आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या : 1617/–3–97–38(विविध)/97, दिनांक 01.05.1997 द्वारा निम्नानुसार सरलीकृत प्रक्रिया अपनाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैंः–

(I) नये एकल आवासीय भूखण्डों के रजिस्ट्री के समय ही निर्धारित शुल्क जमा करा कर आवंटी को उसके भूखण्ड पर निर्माण हेतु एक स्टैण्डर्ड ''मानचित्र दे दिया जायेगा, जिसके आधार पर आवंटी बिना किसी अन्य स्वीकृति के भवन निर्माण कर सकेगा। ऐसे मानचित्र में आवंटी सुविधानुसार आन्तरिक परिवर्तन कर सकेगा। परन्तु मानचित्र में सेटबैक व खुले स्थान पर कोई परिवर्तन न कर सकेगा। यह सुविधा 300 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर लागू होगी। प्रयास यह भी किया जाए कि विभिन्न आकार के भूखण्डों के

लिए स्टैण्डर्ड मानचित्रों की एक पुस्तिका उपलब्ध कराई जाय जिससे सुविधानुसार चयन किया जा सके।

(II) आवासीय श्रेणी के 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मानचित्र पर स्वीकृति आवश्यक होगी, जो 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृति मानी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि यद्यपि उक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था को विकास प्राधिकरणों की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समावेशित किया जा चुका है, तथापि कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे सामान्य जनता को मानचित्र स्वीकृत कराने एवं भवन निर्माण कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जो शासकीय नीति के विपरीत है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के अधीन जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा सामान्य जनता को इस सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या : 3559(1)/8–3–07–97–38(विविध)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र,, उत्तर प्रदेश ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ.प्र. रेडको, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, आर्कीटेक्ट ऐसोसिएशन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव